Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAR-APRIL, 2021, VOL- 8/64

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का प्रभाव:एक अध्ययन

मो० सदरे आलम

शोधार्थी शिक्षाशास्त्र विभाग, बी० आर० अंबेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

Paper Received On: 21 APRIL 2021
Peer Reviewed On: 30 APRIL 2021
Published On: 1 MAY 2021

Abstract

किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जा सकती है।

डॉ०बी०आर०अंबेडकर

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला द्वारा शक्ति और संसाधनों की प्राप्ति से है, जिससे कि वे अपने विषय में महत्वपूर्ण निर्णय ले सके एवं दूसरों के द्वारा लिए गए गलत निर्णयों का विरोध कर सकें। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम और मूलभूत साधन हैं।प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है तथा महिला शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं।उनको दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण का निरंतर विकास हो सके एवं महिलाओं को जागरूक किया जा सके महिला को उसके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधा दिलाने का प्रयास किया जा सके जिसके द्वारा समाज में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिल सके।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना:-

इतिहास साक्षी है कि समाज में महिला के संदर्भ में कहा गया है कि "एक महिला को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है।"

वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जाता है।अगर कोई स्त्री या माता अथवा गृहिणी के संस्कार शिक्षा दीक्षा उत्तम नहीं होगी तो वह समाज एवं राष्ट्र को उत्तम सदस्य कैसे दे सकती है।समाज के शुद्ध वातावरण के लिए महिला का स्वस्थय,शिक्षित,समझदार,कुशल व्यवहार एवं बुद्धिमान होना जरुरी है।

वैदिक काल के अंदर महिलाएं भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थीं,विभिन्न गतिविधियों में पुरुषों को सहयोग किया करती थीं,और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान था।वैदिक युग में महिला शिक्षा अपनी उच्चतम सीमा पर थी महिलाएं पुरुषों के समक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अगृणीय भूमिका में थीं। हमारे देश की जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका को पुरुषों के पूरक के रूप में देख कर कहा था कि महिला एवं पुरुष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं।अतः किसी भी समाज की संपन्नता और प्रगति दोनों की असमानता पर नहीं अपितु समानता और सहयोग पर निर्भर करती है।

शिक्षा से हमारे जीवन में सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रजा-तांत्रिक प्रक्रिया है।जिसमें महिलाओं को अपने जीवन पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है।संविधान के द्वारा बराबर का दर्जा मिलने के बाद भी उसके साथ भेदभाव होता है। कार्य करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर भी परंपरा और संस्कृति के नाम के साथ-साथ विभिन्न स्तरों से होकर गुजरी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो महिला दशक के प्रारंभिक वर्षों में सशक्तिकरण को महिला की प्रस्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता था।जिसका अर्थ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास रहा है।

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है इसलिए यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त,सामाजिक,आथिर्क,राजनैतिक एवं शैक्षिक क्षमता से समान व उपयोगी भूमिका में अनुभूति करा सकती है।शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता कौशल ज्ञान एवं क्षमताओं का निरंतर विकास होता है।शिक्षित महिला न केवल स्वयं न केवल लाभान्वित होती है बल्कि उसके साथ-साथ एक पूरी भावी पीढ़ी को भी लाभान्वित करती है।शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण तरीके से उनके विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है।महिलाओं की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी।निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक मूल रूप से निर्णय लेने का एक बड़ा मानक है। शिक्षा के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता से धणात्मक एवं सार्थक निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का सहसंबंध माना जाता है।

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है।मकोल एवं अन्य के अनुसार किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है।किसी समाज में महिलाओं की शैक्षिक की स्थिति जानने का तरीका है कि हम जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है,उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं,और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुंचे है,तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है?देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में भूमिका को उठाने में सहायता की है।

*जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम दखते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशीला तैयार करती है।शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सशक्त और सबला बनती है।महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिला में छिपी हुई प्रतिभा उनकी शक्तियों उनके गुणों और उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना है।जिनको व्यवहार में लाकर वे अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके,यह सारे के सारे कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव हैं।विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सहायक होने के साथ ही प्रजन्नता को कम करके बच्चों को उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है।*

सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक निर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है।आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरुष प्रधानता तथा वचन वचर्स्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होकर रह जाएगी और जगह एक नई समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आएगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा।महिलाओं की दयनीय दशा के लिए अशिक्षा मुख्य रूप से उत्तरदायी है जैसे-जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है। महिलाओं की परिस्थिति भी परिवर्तित हो रही है शिक्षा में महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त किए हैं। शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है शिक्षा का प्रसार होने से महिलाएं परंपरागत जागरूक हो रही हैं| महिलाएं अपने अधिकारों बंधनों पुराने विचारों व अंधविश्वासों से मुक्त हो रही हैं।वह अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की सामर्थ्य रखती हैं।आधुनिक शिक्षित महिला पुरुष की दासता को स्वीकार नहीं करती हैं। वे पुरुषों के सामान अपने अधिकारों के पक्ष में हैं।

प्रारंभिक काल में महिला शिक्षा का उपयोग महिलाओं को एक पत्नी व माता के परंपरागत कर्तव्यों के साथ अधिक कुशलता पूर्वक करने के योग बनाता था। न कि सामाजिक,आर्थिक व राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी अधिक दक्ष व कुशल भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम करना था। धीरे-धीरे स्थिति में परिवर्तन आया तथा विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा के महत्व को उसके विविध व विस्तृत आयामों के संदर्भ में देखा जाने लगा और इन्हीं विविध आयामों में शामिल हैं।शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता व सशक्तिकरण के अर्थ पूर्ण प्रयासों की संभावना को विभिन्न दिशा प्रदान करना है।आज स्पष्टतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त समान एवं उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है।भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा प्रदत समानता के अधिकारों ने राजनीति अर्थव्यवस्था और समाज में बहुविध भूमिका निर्वाह करने के लिए महिलाओं का आह्वान करके उनकी स्थिति सुधारने हेतु नए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं।

संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सिद्धांत के कार्यन्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु को पुर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।आज महिलाओं के मानवीय अधिकारों तथा समाज व राष्ट्र के विकास दोनों ही संदर्भ में महिला शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाने लगा है। यही कारण है कि आज भारत में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा प्रमुख नीति विषयक तत्व बन गया है।

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ना केवल महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समस्याओं की चर्चा की गई है बल्कि साथ ही शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के अधिकार महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया है।इस हेतु लैंगिक विषमताओं की समाप्ति को भी प्रमुख प्राथमिकता देने की इस शिक्षा नीति में चर्चा की गई है। किसी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब कि उस समाज में महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हों। इन

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अधिकारों व अवसरों की कानूनी व सैद्धांतिक मान्यता के साथ-साथ समाज में व्यवहारिक स्वीकार्यता भी अनिवार्य है।महिलाओं की स्थिति की जांच करने से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि यद्यपि कानून व सैद्धांतिक संदर्भ में उसके अधिकारों व अवसरों में कोई कमी नहीं है। परंतु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभीष्ट लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाये हैं।*

"संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्याधिक महत्व दिया है। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।पूरे विश्व में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है।भारत में स्वतंत्रता के समय यह स्थिति अत्यंत विकट थी पुरुषों में साक्षरता की दर 20% थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल 8.9 प्रतिशत थी।वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82% थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 63.5% थी उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान झारखंड आदि राज्यों में यह 55% से भी कम है।महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है।जहां केवल 51% महिलाएं साक्षर हैं।इस परिस्थिति से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है।"

महिला सशक्तिकरण को लेकर निर्णयक लाभदायक योजनाएं निम्न प्रकार हैं।

(1)बालिका शिक्षा प्रोत्साहन लाभदायक योजना

केंद्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाएं शुरू की हैं इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निश्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा है।इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है।जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है।100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोश के साथ यह योजना शुरू में देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई। खासकर उन जिलों में जहां लिंगा लिंगानुपात बेहद कम था।बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है।इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की ओर लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की गई है।बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है।यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।साथ ही केंद्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 खंडों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की गई है।इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति,पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 वर्ष की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं।

*भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति,जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत पहले से पहले 2 वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान,बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सामाख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरु की गई शुरू की गई है थी।बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया है।*

(2)महिला शिक्षा के महत्व एवं उद्देश्य को समझना और उस बढ़ावा देना

महिलाओं के महत्व एवं सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण संगठक और हस्तछेप है।प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार की शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक है या शिक्षा का क्या महत्व है।शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं में तेजी से बदलती हुई विश्व की वास्तविकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त होगा जो उन्हें अपमान पूर्ण और मानवीय स्थिति का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

(3)शिक्षा का एवं सशक्तिकरण के साथ संबंध

अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षा और सशक्तिकरण में क्या सहसंबंध है?शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक ज्ञान,नियमों,मुल्यों व्यवहार पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिंतन की एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

(4)महिलाओं की परिस्थिति एवं परिवर्तनों में शिक्षा का प्रभाव और उसकी समझ

अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं की परिवर्तित परिस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है?सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।बिना शिक्षा के महिलाओं की परिस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असंभव है।शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आई है।वह अपने बारे में सोचने लगी है,उन्होंने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है,उनके व्यक्तित्व में निखार आया है, महिलाएं न केवल सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय तथा कालेजों में भी जा रही हैं।बल्कि मुख्यमंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही हैं,एवरेस्ट पर भी जाने के बाद विजय प्राप्त कर रही हैं।वायुसेना और नौसेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं।

(5)महिला सशक्तिकरण शिक्षा मार्ग में बाधाओं की समझ

शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव है इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में यह समझने और समझाने का प्रयास किया गया है कि वह कौन-कौन सी बाधाएं हैं,जिनके कारण महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं,अध्ययन में यह पाया गया है कि लैंगिक भेदभाव का परिवारिक परंपराएं,पर्दा,प्रथा, बाल विवाह,निर्धनता,सामाजिक आर्थिक पहलू,घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं हैं।

(6)महिला सशक्तिकरण के द्वारा शिक्षा की बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव

अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना है।शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण असंभव है। अतः उन बाधाओं को जो महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हैं,कैसे दूर किया जाए इस विषय पर अध्ययन में प्रकाश डाला गया है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(7)महिला सशक्तिकरण की शिक्षा में आने वाली बाधाएं

स्वतंत्रता के बाद से केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38% थी,तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कर्मष: 75.85% थी,तथा 54.16% थी।तथा 2011 में समर्ग साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी, तथा पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमश 82.14% तथा 65.46% थी।यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है।

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं निम्न प्रकार हैं।

(1)शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव।

भारतीय शिक्षा में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है।स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेश लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं।लड़कियां घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या फिर अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं।विज्ञान और इंजीनियरिंग में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियाँ निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं।विज्ञान,टैे क्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है। किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनको अभिरूचियों में कोई अंतर है।

(2) बाल विवाह एवं निर्धनता

बाल विवाह एवं निर्धनता के कारण अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं।इसी कारण वे अपनी लड़कियों को उसी स्तर तक पढ़ाते हैं जहां वे उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढ सकें।छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई में अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

निर्धनता के कारत्ण लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है।अध्ययन दर्शाते हैं कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ घर का पूरा काम करती है।छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है,और कृषि के कार्यों में अपने माता पिता के हाथ बटाती है।इस कारण उनके पास विद्यालय जाने के लिए समय ही नहीं बच पाता है।लड़कों के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किए जाने वाला कार्य समझा जाता है।

(3)बाधाओं के सामाजिक एवं आर्थिक पहलू

माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृति दोनों की भूमिका और दायित्व निर्धारित करने में प्रकट होती है।दिल्ली के विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि उन्हें अपने बेटों और बेटियों से भिन्न-भिन्न अपेक्षाएं होती हैं।बेटों से प्राय: घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर में हाथ बंटवाने की आशा की जाती है।माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं। जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाएगी।बेटी की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता है,इसलिए उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(4)बाधाओं का कारण घर से विद्यालय की दूरी

आज के समय में भी ऐसे असंख्य बच्चे हैं जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचना आसान नहीं है।यह समस्या लड़कियों के मामले में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गंभीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37% ग्रामीण आबादी का निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है।इसमें से 3 किलोमीटर की सीमा में 48% बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है।15% आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूरी है।

जिन पांच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था।

वहां पाया गया है कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

वहां लड़कियाँ

प्राय: कक्षा पांच के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

इसका कारण यह है कि माता-पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते हैं।

(5)अध्यापिकाओं की उपस्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

विद्यालय में अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेष के रूप में कार्य करती हैं।उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां महिला साक्षरता दर कम है वहां अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुत कम है।प्राथमिक स्तर में वहां क्रमश: 25.49% और 19.84% अध्यापिकाएं हैं।यह केरल के विपरीत हैं। जहां उच्चतम साक्षरता दर के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएं होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय।छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत में केवल 5.12% प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17% उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं।

"हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुनिया की 60% जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया।इस सर्वेक्षण में आर्थिक साझेदारी व अवसर शिक्षा स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर को मापने की कोशिश की गई है।इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं हैं।जहां इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों में समानता है।सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले में स्वीडन पहले स्थान पर है,जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे है,अमेरिका को 22वां स्थान मिला है। फिलीपींस दुनिया के उन 5 देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरुष असमानता को समाप्त किया है।

*शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग(1996)ने स्पष्ट किया है कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंगभेद को समाप्त करना होगा।विश्व शिक्षा रिपोर्ट 1995 में स्पष्ट किया गया है कि "दुनिया के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएं घर की चारदीवारी में बंद हैं।अशिक्षित मॉ

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है।इससे गरीबी अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनंत चक्र प्रारंभ होता है।"*

अधिकांश मामलों में यह मान लिया जाता है कि महिला एक अच्छी पत्नी और सेवा निष्ठ मॉ बनना है।यदि उसके पास समय है और वह कुछ बनना चाहती हैं तो वह क्लर्क या अध्यापिका बन सकती हैं।ऐसी स्थिति में विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कैरियर बनाने पर समय और निवेश करने में कोई तुक नजर नहीं आती है।यदि संसाधनों के निवेष का प्रश्न उठता है तो संसाधन निरंतर लड़कों की तकनीकी शिक्षा पर लगाए जाते हैं।यदि लड़कों की बहनों की भी वही रुचियां हैं तो वे महिलाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों को लेने की ओर चली जाती हैं।इन निर्णयों को लेने के पीछे यह भावना काम करती है कि लड़कियां कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं।अतः निर्धनता सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों एवं सामाजिक कुरीतियॉ महिला शिक्षा में बाधक हैं।

(6)महिला सशक्तिकरण के लाभ हेतु सुझाव

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता,लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा।इसके लिए महिला शिक्षा में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा।

महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूरी का कम किया जाना चाहिए।जनता में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है।इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए।

सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहां महिलाएं काम करती हैं। बालग्रहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ कर घर पर ना रुकना पड़े।

महिला सशक्तिकरण की रूप रेखा का निष्कर्ष

*शिक्षा महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है।बिना शिक्षा के किसी को भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है।महिला शिक्षा में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है यदि समाज महिलाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी भावना रखकर अपना योगदान देगा तो शिक्षित महिलाओं में वृद्घि होगी। शिक्षा से ही महिलाओं में आत्मविश्वास आत्म जागृति एवं अपने अधिकारों तथा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अवसरों की जानकारी हो सकेगी।जिससे वे अपने कौशल का विकास कर सकेंगी एवं स्वावलंबी बनकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्वयं लेकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर सकेंगी।महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए बिहार सरकार ने कन्या शिक्षा को प्रमुख वरीयता दी है।बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि आधी आबादी को शिक्षा के द्वारा इतना सशक्त बनाया जाए कि वह न केवल स्वयं बल्कि समाज को एक नई दिशा व दशा प्रदान किया जा सकें।*

संदर्भ सूची का विवरण

अलतेकर,डॉ० अनंत सदाशिव: "प्राचीन भारतीय शिक्षण", नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स,वाराणसी,1968 पृष्ठ 155 ।

मकोल नीलम शर्मा, संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरुक्षेत्र सितंबर 2006 पृष्ठ 53 ।

व्यास डॉ०मीनाक्षी, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर 2008 पृष्ठ-78 ।

वासी तृप्ता,बी०एस०डब्ल्यू०इ०-003, शिक्षा में महिला विकास की पहल इग्नू, लक्ष्मी प्रिंट इंडिया शाहदरा, दिल्ली-32 पृष्ठ-66 ।

कानिटकर मुकुल "भारत में महिला शिक्षा,समाज व सरकार की भूमिका", योजना सितंबर 2016, पृष्ठ-37 ।

देवपुरा प्रतापभल "महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व", कुरुक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006 पृष्ठ-5 6 16-19 ।

मिश्र,डॉ०जयशंकर, "प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास", हिंदी माध्यम कार्यान्वियन निदेशालय,दिल्ली विश्वविद्यालय,नई दिल्ली,1992 पृष्ठ 416 द ।

श्रीवास्तव,सुधारानी (1999) "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति", कामनवेल्थ पब्लिशर्स,नई दिल्ली।

अंसारी एम०ए०(2001) "महिला और मानव अधिकार",ज्योति प्रकाशन,जयपुर।

जैन,प्रतिभा (1998),"भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ", रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

लावण्या एम०एम०(1989)

"समाजशास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियां",रिसर्च पब्लिकेशन,जयपुर।

तिवारी आर०पी०(1999),"भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएं एवं समाधान",नई दिल्ली।

बघेला, डॉ० हेत सिंह (1999)"शिक्षा मनोविज्ञान",विनोद पुस्तक मंदिर,आगरा।

मिश्रा के०के०(1965),"विकास का समाजशास्त्र",वैशाली प्रकाशन,गोरखपुर।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies